>14.09 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. SPEAKER: Item No.16, Matters Under Rule 377. All the matters listed for today would be treated as laid on the Table of the House.

...(*Interruptions*)

Title: Need to exempt the patients of O.P.D. and general ward from paying medical fee at Indian Institute of Medical Research, Chandigarh - Laid.

श्री सुरेश चंदेल (हमीरपुर, हि0प्र0): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ की ओर आकर्ति करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर भारत का यह एकमात्र ऐसा विशेाज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाला संस्थान है, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल आदि राज्यों के लोगों को अपनी सेवायें देता है, लेकिन वर्ा 1995 से लगातार वहां गरीब एवं बेबस लोगों से चिकित्सा सेवा के बदले शुल्क वसूला जा रहा है। इससे पहले ओ.पी.डी एवं जनरल वार्ड के मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था और केवल विशेा जांच आदि के ही चार्ज लिए जाते थे, लेकिन अब ओ.पी.डी एवं जनरल वार्ड के मरीजों से ही चिकित्सा शुल्क लिया जा रहा है। लगभग 10 वर्ाो पूर्व इस संस्थान में शल्य चिकित्सा (आपरेशन) कराने हेतु आए मरीजों से केवल शल्य क्रिया का शुल्क जमा कराया जाता था। उसके बाद ऑपरेशन में काम आने वाली बेहोशी की दवायें, इंजेक्शन, ब्लैड टांके लगाने हेतु धागे आदि सभी आवश्यक सामग्री एवं उपकरण संस्थान की ओर से उपलब्ध कराये जाते थे। लेकिन अब ऑपरेशन फी के साथ साथ इन सब चीजों को भी मरीजों से मंगाया जाता है, जिसके कारण गरीब लोग वहां इलाज नहीं कराते और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दिल्ली में चिकित्सा कराने आते हैं। इससे जहां एक ओर दिल्ली में ए.आइ.आइ.एम.एस. पर दबाव बढ़ रहा है वहीं गरीब लोगों को अपने घरों से दूर आकर दिल्ली में इलाज कराना पड़ रहा है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे दिल्ली के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की तरह वहां ओ.पी.डी एवं जनरल वार्ड के मरीजों से कोई चिकित्सा शुल्क न लेने के निर्देश दें।

* Trated as laid on the Table